बिहार–सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग,

न्यायालयः– प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ।

जप्त वाहनों के स्वामित्व को सुनवाई हेतु उपस्थिति की सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि घटित वन अपराध में निम्नांकित जप्त वाहनों का प्रकार, निबंधन संख्या, अभियुक्त का नाम, जप्ती की तिथि, अपराध की प्रकृति, जप्त विवरणी एवं उस पर चल रहे अधिहरण वाद संख्या इत्यादि जो निम्वत् दर्शायी जाती है।

क्र0 सं0	अभियुक्त का नाम	वाहन का प्रकार	निबंधन संख्या	जप्ती की तिथि	अपराध की प्रकृति	जप्त विवरणी	दायर अधिहरण वाद सं0
1	शंकर शाह, सा0+था0-चाँद, जिला–कैमूर वगैरह।	लाल रंग का आयशर ट्रैक्टर	Without Registration No Chechis No. 59129911024	31.03.2011	अवैध खनन एवं परिवहन	ट्रैक्टर, ट्राली एवं 75 pcs. पत्थर पट्टियाँ	13/11
2	कमलेश सिंह, पिता स्व0 फूलचन्द सिंह, सा0-दूबे के सरैया, थाना–चैनपुर, जिला–कैमूर वगैरह।	लाल रंग का आयशर ट्रैक्टर	Without Registration No Chechis No. 11629936093	25.03.2012	अवैध खनन एवं परिवहन	ट्रैक्टर, ट्राली एवं 80 c.f.t. पत्थर ढ़ोका	12/11
3	मुकेश सिंह, पिता स्व0 ललिता सिंह, सा0–बौरई, थाना–चैनपुर, जिला–कैमूर वगैरह।	महेन्द्रा ट्रैक्टर 255 DI	Without Registration No Chechis No. 1121776RA Engine No. 751046RT	04.06.2009	अवैध खनन एवं परिवहन	ट्रैक्टर, ट्राली एवं 60 c.f.t. पत्थर बोल्डर	24/09
4	राजेश गोंड़, पिता– श्री रामजनम गोंड़, सा0–दूबे के सरैया, थाना–चैनपुर, जिला–कैमूर वगैरह।	आयशर ट्रैक्टर Good Earth	Without Registration No	21.11.2006	अवैध खनन एवं परिवहन	ट्रैक्टर, ट्राली, 54 pcs. पत्थर ओखली एवं मोबाईल	24/06
5	राजेश सिंह, पिता श्री रंगबहादूर सिंह, सा0–मोकरी, थाना–भभुआ, जिला–कैमूर।	जीप	UP-67D/4398	02.09.2009	वन्य जीव का अवैध शिकार करना।	जीप सं0 UP-67D/4398 एक स्पॉट लाईट के साथ, D.B.B.L Gun No. 143577, Single Barel Gun-पन्द्रह जिंदा कारतूस एवं एक खाली खोखा।	46/09

जिस पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33,41,42 का उल्लंघन का कारित अपराध प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त उक्त अधिनियम की धारा–52 के तहत् जप्त वाहन एवं उसपर लदा वन पदार्थो पर अधिहरण की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है। लेकिन इस न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु बार–बार सम्मन निर्गत करने के बावजूद भी अभियुक्तों द्वारा अपने जप्त वाहन एवं वन पदार्थो पर स्वामित्व होने का दावा उपस्थित होकर प्रस्तुत नही किया जाता है। जिससे इस न्यायालय का समय की बर्बादी एवं वैसी अधिहरण वाद लंबित पड़े हुए है। ऐसी स्थित में उपर्युक्त जप्त वाहनों एवं वन पदार्थो पर जिन आम आवाम के द्वारा स्वामित्व होने का

दावा प्रस्तुत करना है तो वें प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर वाहन एवं वन पदार्थों के वैद्य कागजातों के साथ प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ के न्यायालय में प्रस्तुत करें।

अतः वैसे आम आवाम को पुनः सूचित करना है कि समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर उपर्युक्त जप्त वाहनों एवं वन पदार्थों का वैद्य कागजातों के साथ अपना दावा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ के न्यायालय में समर्पित नही करते हैं तो वैसी स्थिति में जप्त वाहन एवं वन पदार्थ पर चल रहे अधिहरण वाद संख्या में त्वरित निष्पादन करते हुए एक पक्षीय निणर्य लेने के उपरान्त राज्य सरकार के पक्ष में राजसात कर दिया जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी आम आवाम को जप्त वाहन एवं वन पदार्थ के सम्बंध में स्वामी होने का दावा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

प्राधिकृत पदाधिकारी
–सह–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ।